

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ.2(1)साप्र/2/2011

जयपुर, दिनांक 6.7.2011

-: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा परिचित/आवंटित किये जाते हैं:-

क्र. सं.	वरियता संख्या	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	61/05	श्री मधुसूदन शर्मा आर.ए.एस. साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग, जयपुर	एम-14, गांधीनगर	31.1.2016
2.	1/08	श्री विनेश सिंघवी विशेषाधिकारी, आयोजना (ग्रुप-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	II/39, गांधीनगर	30.6.2030
3.	22/2010	श्रीमती पूनम आर.ए.एस. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान ग्रामीण लाईवलीहूड प्रोजेक्ट, जयपुर	एम-9, गांधीनगर	31.8.2036
4.	6/2011	श्री वृद्धिचन्द बुन्कर नियंत्रक वित्त (सी.ए.ओ.) सर्वशिक्षा अभियान, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर	701, मॉडल टाउन	30.6.2028
5.	25/2011	डॉ० विष्णुकान्त आई.पी.एस. पुलिस अधीक्षक, (आदेश की प्रतीक्षा में) पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर	601, मॉडल टाउन	31.8.2037
6.	28/2011	श्री पूर्णचन्द किशन आर.ए.एस. स्टेट मिशन निदेशक, आजीविका योजनाएँ एवं स्वयं सहायता समूह, जयपुर	604, मॉडल टाउन	30.6.2034
7.	29/2011	श्री जी. के. नागौरी संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग, जयपुर	702, मॉडल टाउन	31.3.2015

शर्तें:-

- आवास का कब्जा आवास आवंटन के 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी- कृपया आवंटन के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अतथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटन अधिकारी का भ्रमण किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रेषित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावे।
- आवंटन को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाही अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-

1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी गिरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में गिजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

आज्ञा से,

60

(मनफूल वैरदा)  
शासन सहायक सचिव

प्रतिनिधि निर्माकित को सूचनाओं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, गिजी शांतिवालय, जयपुर।
4. निदेशक, साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, जयपुर।
6. परियोजना निदेशक, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. महानिरीक्षक पुलिस (मुख्यालय), पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
8. स्टेट मिशन निदेशक, आजीविका योजनाएँ एवं स्वयं सहायता समूह, जयपुर।
9. आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर।
10. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
12. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
14. अधिशाही अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर/मालवीयनगर, जयपुर।
15. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण नियंत्रण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करावें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
16. समस्त संबंधित अधिकारीगण।
17. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
18. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा दें।
19. शासन सहायक सचिव (नोडल अधिकारी) सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
20. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
21. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव



राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ.3(1)साप्र/2/2011-पार्ट

जयपुर, दिनांक 6-7-11

-: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों को उनकी तृतीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित/परिवर्तित किये जाते हैं :-

क.सं.	वरियता सं.	नाम व पद	आवंटित संख्या	आवास	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	196/02	श्री संग्राम सिंह कृषि अनुसंधान अधिकारी (शस्य) एटीसी अनुभाग, कृषि निदेशालय एवं उप सचिव, जयपुर	111/85, गांधीनगर (111/82, के स्थान पर)		31.8.2036
2.	71/06	श्री सोभाग प्रसाद जसौरिया अनुभागाधिकारी, गृह (ग्रुप-9) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	111/91, गांधीनगर		31.10.2017
3.	143/08	श्री राजेन्द्र प्रसाद रावत कनिष्ठ लेखाकार, राजस्थान जल प्रदाय सिवरेज मण्डल, जयपुर।	17/111/सी बहुमंजिला गांधीनगर		31.8.2023
4.	150/08	श्री प्रेम बहादुर सिंह पुलिस निरीक्षक, कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, जयपुर	ई-920, गांधीनगर		31.8.2023
5.	18/09	श्री मुरलीराम गुप्ता सांख्यिकी सहायक, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वा० सेवाये राजस्थान, जयपुर।	111/101, गांधीनगर		30.9.2022
6.	38/09	श्री तेज प्रकाश खानचन्दानी स्टेनोग्राफर, अतिरिक्त सिविल (न्यायाधीश) कनिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक गजिस्ट्रेट नं० 2, प्रथम वर्ग जयपुर नगर, जयपुर।	111/104, गांधीनगर		31.5.2028
7.	40/09	श्री गहेन्द्र सिंह यादव, कनिष्ठ अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड कागोता, मुख्यालय, जयपुर	111/22, गांधीनगर		31.12.2022
8.	44/09	श्री प्रमोद कुमार शर्मा कनिष्ठ लेखाकार, कोषालय ग्रामीण, जयपुर।	111/36, गांधीनगर		31.8.2021
9.	49/09	श्री गोपाल सिंह पशुधन सहायक, कार्यालय उप निदेशक प्राक्कलन शाखा निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर।	111/46, गांधीनगर		31.1.2025
10.	58/09	श्री प्रेम प्रकाश त्रिपाठी सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर	111/69, गांधीनगर		31.3.2021
11.	67/09	श्रीमती शिप्रा विक्रम सहायक निदेशक, साधारण बीमा निधि, वित्त भवन, जयपुर।	111/72, गांधीनगर		30.9.2033
12.	71/09	श्री पीरामल चावला लेखाकार, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, जयपुर	111/106, गांधीनगर		29.2.2025
13.	79/09	श्री कैलाश चन्द शर्मा राकनीकी सहायक रसायन, कार्यालय वरिष्ठ रसायनज्ञ, भूजल विभाग, झालाना डूंगरी, जयपुर।	111/115, एवीएस, गांधीनगर		31.10.2031

14.	144/09	डॉ० कमल कुमार मीणा वरिष्ठ प्रदर्शक (दन्त) राजकीय दन्त महाविद्यालय, जयपुर	जीए/III/टी-2/ 101 विद्याधरनगर	31.5.2041
15.	43/2010	श्री सोताराम यादव अन्वेषक आयोजना (पी.एम.यु) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	15/69, मालवीयनगर	31.10.2023
16.	56/2010	श्रीमती संतोष चौधरी कृषि अधिकारी, प्रबोधन एवं मूल्यांकन कार्यालय संयुक्त निदेशक, कृषि जयपुर खण्ड, जयपुर	जीए/III/टी-2/ 129, विद्याधरनगर	30.4.2040
17.	80/2010	डॉ० हरदयाल मीणा चिकित्सा अधिकारी, मेडिसिन विभाग, चतुर्थ, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	ए-19, जवाहरनगर	31.12.2034
18.	86/2010	डॉ० अनिल गर्ग प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी रेडियो डायग्नोसिस सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	ए-63, जवाहरनगर	31.8.2041
19.	98/2010	श्रीमती ऋतु सिंह प्रवक्ता (आर्किटेक्चर) कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय खेतान पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर।	15/70, मालवीयनगर (15/23 मालवीयनगर के स्थान पर)	30.4.2039
20.	9/2011	श्री प्रताप सिंह मुख्य प्रारूपकार, मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर	15/48, मालवीयनगर	30.6.2015
21.	42/2011	श्री सुरेश चन्द तहसीलदार, सांगानेर, राजसू, जिला कलेक्ट्रेट जयपुर।	ए-152, जवाहरनगर	31.7.2032
22.	43/2011	श्रीमती विजय कुशवाह वरिष्ठ अध्यापिका, शिक्षा विभाग, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांगानेर, जयपुर।	15/68, मालवीयनगर	30.8.2022
23.	46/2011	श्री प्रमोद कुमार शर्मा सहायक अनुभागाधिकारी, कृषि (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	जीए/III/टी-2/ 103, विद्याधरनगर	28.2.2015
24.	50/2011	डॉ० सुधीर कुमार दर्जा मेडिकल ऑफिसर, चिकित्सा (सी.ए.एस.-एम.डी.आर.डी.) रेडियोडायग्नोस्टिक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	ए-66, जवाहरनगर	31.1.2038
25.	51/2011	डॉ० छबील कुमार मेडिकल ऑफिसर, पी.एस.एम. सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	ए-88, जवाहरनगर	31.3.2043
26.	52/2011	डॉ० अकरम मोहम्मद सी.ए.एस.पी.जी. (मेडिसिन) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	ए-99, जवाहरनगर	31.7.2042
27.	53/2011	श्री गोविन्द स्वरूप माथुर गन्तव्य निरीक्षक, कार्यालय सहायक निदेशक, गन्तव्य विभाग, जयपुर।	15/72, मालवीयनगर	30.9.2017
28.	54/2011	डॉ० मनु प्रताप सिंह चिकित्सा अधिकारी, सी.ए.एस.पी.जी सर्जरी, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	जीए/III/टी-2/ 15, विद्याधरनगर	28.2.2040
29.	56/2011	डॉ० प्रवीण कुमार चिकित्सा अधिकारी, सी.ए.एस.पी.जी शिशु भेषक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	जीए/III/टी-2/ 16, विद्याधरनगर	31.1.2041



30.	60/2011	श्री गुल्लाराम मीणा लेखाकार, कार्यालय आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर	जीए/गा/टी-2/ 27, विद्याधरनगर	31.7.2031
31.	65/2011	डॉ० विनोद कुमार अहीर चिकित्सा अधिकारी, सी.ए.एस.पी.जी. (एनेरिथसिया) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	जीए/गा/टी-2/ 28, विद्याधरनगर	30.9.2040
32.	68/2011	सुश्री प्रतिमा चूडावत राजस्थान लेखा सेवा, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	जीए/गा/टी-2/ 31, विद्याधरनगर	30.4.2042
33.	70/2011	डॉ० रामस्वरूप सी.ए.एस.पी.जी. सर्जरी विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	जीए/गा/टी-2/ 32, विद्याधरनगर	30.6.2035
34.	71/2011	डॉ० विकास कुमार बंसल सी.ए.एस.पी.जी. सर्जरी विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	जीए/गा/टी-2/ 40, विद्याधरनगर	31.12.2038
35.	72/2011	श्रीमती मेरी जोस नर्स ग्रेड प्रथम, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	जीए/गा/टी-2/ 42, विद्याधरनगर	31.3.2024

शर्त:-

- आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यभार होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- चूँकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसार आदेश प्रसारित होने के आवास आवंटन की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटि के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटि अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावे।
- आवंटि को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी :-
  - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि के द्वारा कोई स्वयं/पति व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्यों के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
- कम संख्या -3 पर अंकित श्री राजेन्द्र प्रसाद रावत से कॉमन सुविधा राशि रुपये 225/- (अक्षर रुपये दो सौ पचिस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
- कम संख्या -13 पर अंकित श्री कैलाश चन्द शर्मा से कॉमन सुविधा राशि रुपये 225/- (अक्षर रुपये दो सौ पचिस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्त भी मान्य होगी।

आज्ञा से




(गनफूला बैरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
- निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

4. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
6. निदेशक, कृषि एवं उप सचिव विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-4/2) विभाग, जयपुर।
8. कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
9. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
10. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर।
11. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रे नं0 2, प्रथम वर्ग, जयपुर नगर, जयपुर।
12. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
13. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. कोष कार्यालय ग्रामीण, जयपुर।
15. निदेशक, मशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अगियांत्रिकी विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
17. आयुक्त, जन सम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
18. निदेशक, साधारण बीमा निधि वित्त भवन, जयपुर।
19. नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
20. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान जल प्रदाय सिवरज मण्डल, जयपुर।
21. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
22. वरिष्ठ रसायनज्ञ, भूजल विभाग, झालाना जूंगरी, जयपुर।
23. अधीक्षक, राजकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
24. शासन उप सचिव, अन्वेषक आयोजना (पी.एम.यू.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
25. निदेशक, कृषि जयपुर खण्ड, जयपुर।
26. प्रधानाचार्य, राजकीय खेतान पोलिटैक्निक महाविद्यालय, जयपुर।
27. तहसीलदार, सांगानेर राजस्व जिला कलेक्ट्रेट, जयपुर।
28. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांगानेर, जयपुर।
29. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, जयपुर।
30. निदेशक, मत्स्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
31. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
32. शासन उप सचिव, वित्त (जीएफएण्डआर) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
33. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
34. अधिशाही अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अगियांत्रिकी/जयपुर वि0वि0निगम लि0 गौधीनगर/जवाहरनगर/मालवीयनगर/विद्याधरनगर, जयपुर।
35. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गौधीनगर जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
36. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
37. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
38. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
39. संबंधित अधिकारीगण।
40. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (गुप-5) विभाग।
41. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
42. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग।
43. रक्षित पत्रावली।

  
 शासन सहायक सचिव